

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/10325-368

दिनांक: 21-04-2023

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01-02/2022 दिनांक 27.06.2022 के तहत अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1-5) संस्कृत/सामान्य (नॉनटीएसपी/टीएसपी) सीधी भर्ती 2022 हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों में सीट परीक्षा-2021 के प्राप्तांकों के आधार पर अध्यापक लेवल प्रथम (संस्कृत) नॉनटीएसपी पद हेतु वरीयता निर्मित कर प्रोविजनल सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन कर वरीयतानुसार चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान की गई थी। मुख्य सूची में नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यारम्भ नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जा कर कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 23700/- (L-10) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान 0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। पूर्व से ही नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती नहीं होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार अध्यापक की पे-मैट्रिक्स लेवल-10 में किया जायेगा।
- यह नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 15.03.2022 को पारित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में प्रदत्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेगी।

अध्यापक लेवल प्रथम - संस्कृत (नॉनटीएसपी)

SNO	REET 2021 MARKS	Application No	Candidate Name	Father Name	G	Marital Status	DOB	Category	Selection Category	Special Category	Home District	Name of School	P.S.	Dist.
1	129	202222309120	BHARAT SINGH CHOUHAN	JETHU SINGH CHOUHAN	M	UM	16-07-1997	GENERAL	R-UR		NAGAUUR	रा.उ.प्राथ.सं.वि., समदड़ी	समदड़ी	बाड़मेर
2	129	202222301512	PINKY KUMARI JANGID	RADHERAM JANGID	F	UM	02-01-1999	C-NON CREA	R-UR	स्कूल महिला	AJMER	रा.प्रवे.सं.वि., रायपुर पूर्वी भाग	रायपुर	भीलवाड़ा
3	129	202222307626	GAURA YADAV	MANGALCHAND	F	M	11-01-1999	C-NON CREA	R-UR		TONK	रा.प्रवे.सं.वि., कांकरवा	भोपालसागर	चित्तौड़गढ़
4	129	202222327960	PEMPON	KESHA RAM	F	M	10-03-1999	C-NON CREA	R-UR		BARMER	रा.प्रा.सं.वि., चेनोणी पोतलियों की द्वाणी	आडेल	बाड़मेर
5	129	202222292559	PRITA	SHER SINGH	F	UM	12-06-1999	C-NON CREA	R-UR	स्कूल महिला	CHURU	रा.प्रा.सं.वि., कातर छोटी	बोदासर	चुरु

6	129	202222283201	MOHIT	BHIKAM SINGH	M	UM	25-06-1999	C-NON CREA	R-UR		BHARATPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., भटेवर	वल्लभनगर	उदयपुर
7	129	202222317280	ANIKET	VIJAY	M	UM	03-12-1999	GENERAL	R-UR		BHARATPUR	रा.प्रा.सं.वि., गुजरो का ढाणा खैरवा	पाली	पाली
8	129	202222285620	ROHIT KUMAR	KRISHAN GOPAL	M	UM	05-07-2000	C-NON CREA	R-UR		KOTA	रा.उ.प्रा.सं.वि., घटिया	डग	झालावाड
9	129	202222289438	MANISH KUMAR SAINI	ROOD MAL SAINI	M	UM	14-08-2000	C-NON CREA	R-UR		SIKAR	रा.उ.प्रा.सं.वि., सीतली	कल्याणपुरा	बाड़मेर
10	129	202222305992	RUKMANI GODARA	RAGHUVIR GODARA	F	UM	11-10-2000	C-NON CREA	R-UR	एकल महिला	BIKANER	रा.प्रा.सं.वि., सोनपालसर	सरदारशहर	धुरु
11	129	202222303157	DEEPIKA SAIN	MUKESH KUMAR SAIN	F	UM	01-01-2001	C-NON CREA	R-UR	एकल महिला	DHOLPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., वपावर कलां	सांगोद	कोटा
12	129	202222312124	RAJENDAR NAI	RAMLAL NAI	M	UM	15-04-2001	C-NON CREA	R-UR		BIKANER	रा.उ.प्रा.सं.वि., राजसिंह की ढाणी, कीता	जैसलमेर	जैसलमेर
13	129	202222321638	DEEPAK KUMAR SAINI	RAMKESH SAINI	M	UM	05-06-2001	C-NON CREA	R-UR		DAUSA	रा.उ.प्रा.सं.वि., भील मामा बस्ती सालपुरा	अटरु	बारां
14	128	202222310929	BAJARANG LAL PRAJAPAT	BANSHIDHAR PRAJAPAT	M	M	09-07-1989	C-NON CREA	R-UR		JAIPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., गोपालबाड़ी	आहोर	जालोर
15	128	202222309395	NOORBANO	ALI KHAN	F	M	07-05-1991	C-NON CREA	R-UR		KARALI	रा.प्रा.सं.वि., गोविन्दनगर	राजसमन्द	राजसमन्द
16	128	202222306201	DILIP KUMAR SWAMI	PRABHU RAM SWAMI	M	M	05-03-1992	C-NON CREA	R-UR		SIKAR	रा.प्रवे.सं.वि., शंकरपुरा	राजसमन्द	राजसमन्द
17	128	202222286027	PRACHI SHARMA	GIRDHARI LAL SHARMA	F	M	26-06-1992	GENERAL	R-UR		JAIPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., चणकारा	राजसमन्द	राजसमन्द
18	128	202222297218	SURENDRA KUMAR GURJAR	RAMBILASH GURJAR	M	UM	11-02-1998	C-NON-CREA	R-MBC		SAWAI MADHOPUR	रा.बा.उ.प्रा.सं.वि., अनादरा	रेवदर	सिरोही
19	128	202222286044	SUMAN KANWAR NARUKA	GOPAL SINGH NARUKA	F	UM	11-05-1998	GENERAL	R-EWS	एकल महिला	SAWAI MADHOPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., गणेशनगर, बड़गांव	शिवगंज	सिरोही
20	128	202222284163	KAMLESH KUMAR GURJAR	BHAIRU RAM GURJAR	M	UM	08-07-1999	C-NON-CREA	R-MBC		JAIPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., धानसा	भीनमाल	जालोर
21	128	202222285069	PEEYUSH KUMAR PAREEK	MANOJ KUMAR PAREEK	M	UM	18-10-1999	GENERAL	R-EWS		AJMER	रा.उ.प्रा.सं.वि., जेठन्ती	समदड़ी	बाड़मेर

22	128	202222308881	JAYA MANGAL	RAJESH KUMAR MANGAL	F	UM	18-10-1999	GENERAL	R-EWS	एकल महिला	SAWAI MADHOPUR	रा.प्रा.सं.वि. बन्नजी का वेरा ग्राम पं. मथानिया तहसील-तिवरी	तिवरी	जोधपुर
23	127	202222301964	SHASHI GURJAR	SHRIBHAN GURJAR	F	M	15-04-1994	C NON-CREA	R-MBC-F		KARAUJI	रा.उ.प्रा.सं.वि., रेल की ढाणी, जाखड़ी	रानीवाड़ा	जालोर
24	124	202222301140	SAVITRI VERMA	JAGDISH PRASAD VERMA	F	UM	21-12-1995	S.C	R-SC	एकल महिला	SIKAR	राउप्रासंवि., 1 केपीडी रावलामण्डी	घड़साना	श्रीगंगानगर
25	124	202222291905	DEEPAK MORDIYA	KAILASH CHANDRA	M	UM	26-06-1997	S.C	R-SC		JAIPUR	रा.प्रा.सं.वि. अबडासर रणयाई मगरा	बाड़मेर	बाड़मेर
26	124	202222296521	HEMA LAKHIWAL	RAMESH CHANDRA BUNKAR	F	UM	07-11-1997	S.C	R-SC	एकल महिला	JAIPUR	रा.प्रवे.सं.वि., कल्याणसिंह की सीड	बाप	जोधपुर
27	124	202222292220	AJAY BHARANDA	PADAM CHAND BHARANDA	M	UM	07-02-1998	S.C	R-SC		JAIPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि. मेहरजी कुम्हार की ढाणी	बायतू	बाड़मेर
28	119	202222305773	JYOTSNA MEENA	RAM BHAROSI MEENA	F	M	27-06-1991	S.T	R-ST		DHOLPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., पिरानी सोईयों की ढाणी	गिड़ा	बाड़मेर
29	119	202222323766	SUMANLATA MEENA	KAILASHI LAL CHAUDHARI	F	M	19-07-1993	S.T	R-ST		DHOLPUR	रा.प्रवे.सं.वि., शिवदानसिंह की ढाणी	—	बाड़मेर
30	119	202222318533	SWATI MEENA	GYARSI RAM MEENA	F	M	23-12-1993	S.T	R-ST		DAUSA	रा.उ.प्रा.सं.वि. गांधीनगर, खड़ीन	रामसर	बाड़मेर
31	119	202222342567	GIRRAJ PRASAD MEENA	BADRI LAL MEENA	M	UM	10-05-1995	S.T	R-ST		DAUSA	रा.प्राथ.सं.वि. आकोडिया अनुसूचित जाति की बस्ती खेजडियाली	चितलवाना	जालोर
32	119	202222283259	SANJAY KUMAR BHEEL	SUWA LAL BHEEL	M	M	01-07-1995	S.T	R-ST		AJMER	रा.उ.प्रा.सं.वि. तालों का पार	शिव	बाड़मेर
33	119	202222302862	ANEETA MEENA	RAMESH CHAND MEENA	F	UM	05-07-1998	S.T	R-ST		DHOLPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., धानमाता हिंगलाज	सिवाणा	बाड़मेर
34	119	202222332052	MAMTA MEENA	RAM BHAJAN MEENA	F	UM	10-06-1999	S.T	R-ST		SAWAIMADHOPUR	रा.प्राथ.सं.वि. खुहड़ी ग्राम पं. खुहड़ी तह-जैसलमेर	सम	जैसलमेर
35	119	202222352689	SUNIL KUMAR MEENA	PRAKASH CHAND MEENA	M	UM	14-02-2000	S.T	R-ST		JAIPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि. भांभुओं की ढाणी	आडेल	बाड़मेर

1. अभ्यर्थी सर्वप्रथम संकुल केन्द्र पर उपस्थित होकर कार्यात्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित संकुल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से पद के अनुरूप पात्रता, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक योग्यता (संस्कृत शिक्षक हेतु दसिष्ठ उपाध्याय परीक्षा/प्राक् शास्त्री/उत्तर मध्यमा की योग्यता होना अनिवार्य है। इस योग्यता के अभाव में अध्यापक लेवल प्रथम- संस्कृत के पद पर कार्यात्म नहीं करावें।), वर्ग (श्रेणी) आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से जांच कर पूर्ण संतुष्टि के बाद स्वसत्यापित छाया प्रतियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल), संतान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज संबंधी, धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र एवं नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अभ्यर्थी को तत्काल पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण हेतु भिजवायेगे।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व पद के लिए निर्धारित योग्यता संबंधी दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। अध्यापक लेवल प्रथम सेस्कृत पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के पास दसिष्ठ अध्यापक/प्राक् शास्त्री/उत्तर मध्यमा योग्यता होना अनिवार्य है। इस योग्यता के अभाव में अध्यापक लेवल प्रथम- संस्कृत पद पर कार्यात्म नहीं करावें एवं दस्तावेजों का एक सैट (अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित) कार्यालय अभिलेख में रखें। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रिमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।
8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गुजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देवासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र लें कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। (शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है)
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. अभ्यर्थी से प्रशिक्षक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यात्म करावें।



16. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी दृढबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
17. पदस्थापन स्थान आवंटन में अगति होने पर अभ्यर्थी दिनांक— 28.04.2023 तक अपनी परिवेदना मय आधार निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत कर सकते हैं।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर दिनांक— 05.05.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.teacher.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(डॉ. भास्कर शर्मा)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/ 10325-368

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला
7. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (दूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
8. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, रा. दरि.उपा./प्रवे. सं. वि. को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
9. संबंधित अभ्यर्थी।
10. संरक्षण पंजिका।

दिनांक: 21-04-2023.

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर